न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 63/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00237

उनवान

सपना पुत्री स्व0 उत्तम सिंह पत्नी वीरेन्द्र आयु करीब 21 वर्ष जाति त्यागी निवासी ग्राम नौरंगाबाद तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

....................अपीलाण्ट

बनाम

1. लीलाधर पुत्र हरिविलास
2. महाराज सिंह पुत्र शिवचरन
3. कम्पूरी वेवा बाबूलाल
4. सावित्री देवी पत्नी स्व0 उत्तम सिंह
   } समस्त जातिगत त्यागी निवासी ग्राम नौरंगाबाद तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
5. मु0 अनोखी पुत्री बाबूलाल पत्नी मंगल सिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम कनासिल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
6. अजमेर सिंह
7. रामदत्त
   } पिस0 शिवचरन जाति त्यागी नि0 ग्राम नौरंगाबाद तह0 सैपऊ जिला धौलपुर
8. बंगाली
9. भोलाराम
   } पिस0 पीतम सिंह
10. बैकुण्ठी वेवा बैनीप्रसाद
11. मुरारी
12. हाकिम
   } पिस0 बैनीप्रसाद
   } (8–12) समस्त जाति त्यागी नि0 ग्राम नौरंगाबाद तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।
13. रामनिवास
14. सुरेशचन्द
15. राजेन्द्र प्रसाद
16. लोकेन्द्र
   } पिस0 बृषभान जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम नौरंगाबाद तहसील सैपऊ, धौलपुर।
17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संतर रोड धौलपुर द्वारा शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संतर रोड धौलपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तसीमो द्वारा शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डियॉ शाखा तसीमो।
19. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सैपऊ।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2005 प्रकरण संख्या 31/2004 उनवान लीलाधर बनाम कम्पूरी, न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर।

अभिभाषकगण :–
1. श्री योगेश शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राना अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित।

दिनांक :–14.01.2022

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर के निर्णय दिनांक 21.06.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ

न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील सैपऊ में वादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के पिता शिवचरन 2/3 भाग एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 के पूर्व पुरूष बाबूलाल 1/3 भाग के संयुक्त रूप से अभिलिखित खातेदार काश्तकार थे और इसी हैसियत से काश्त करते थे। प्रस्तुत वाद की चरण संख्या 01 की उपचरण अ,ब,स,द में केवल बाबूलाल पुत्र हरिविलास का हिस्सा क्रमशः 1/4, 1/12, 1/16 व 1/3 ही विवादित है। शेष हिस्सो के संबंध में कोई विवाद नहीं है। मृतक बाबूलाल ने विवादित आराजीयात में से अपने हिस्से एवं अपने मकान स्थित नौरंगाबाद की वसीयत दिनांक 24.03.2004 को वादीगण के पक्ष में स्वस्थ्य बुद्धि चित्त की अवस्था में निष्पादित कर वादीगण को इस सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकारी मनोनित किया। इस प्रकार बाबूलाल के निधन के बाद बाबूलाल की आराजी व मकान, वसीयत के अनुसार वादीगण पर प्रकान्त हुआ है तथा बाबूलाल के हिस्से की कृषि भूमि एवं मकान पर वादीगण वहैसियत स्वामी उत्तराधिकारी है और बाबूलाल की छोडी आराजी को सहखातेदारो के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 विवादित आराजी को नाजायाज तौर पर हडपना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर बाबूलाल की हिस्से की आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अन्य रैस्पो0 से साज कर अपीलाण्ट की नाबालिग अवस्था में अपीलाण्ट की बैक पर अवैध रूप से राजीनामा प्रस्तुत करते हुये, विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विवादित आराजी बाबूलाल पर हरिविलास से प्रकान्त हुई थी एवं हरिविलास बाबूलाल का पिता था। बाबूलाल का पुत्र उत्तम था उत्तम की पुत्री अपीलाण्ट हैं। इसके अलावा विवादित आराजी सयुंक्त हिन्दू परिवार की पैतृिक सम्पत्ति थी जिसमें उत्तम का जन्म से ही अधिकार निहित था तथा उत्तम के निधनोपरान्त अपीलाण्ट उत्तम के वारिसान एवं उत्तराधिकारी होते हैं इसलिये बाबूलाल को तथाकथित वसीयत निष्पादित करने का अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। बाबूलाल की तथाकथित वसीयत को तथा प्रकरण में हुये राजीनामा को भी सम्पूर्ण हिस्से के संबंध में वैध नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि पुश्तैनी सम्पत्ति होने की वजह से बाबूलाल के पुत्र उत्तम का हिस्सा भी निहित था लिहाजा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध व काबिल खारिजी है। तथाकथित वसीयत भी अवैध व फर्जी है। बाबूलाल ने कोई वसीयत निष्पादित नहीं की, क्योंकि बाबूलाल कैंसर रोग से पीडित था एवं चलने फिरने एवं सोचने समझने लायक नहीं था।

मियाद के संबंध में उनका कथन है कि चूंकि अपीलाण्ट दौराने दावा नाबालिग थी एवं सोचने एवं समझने लायक नहीं थी एवं ना ही अपील ही पेश कर सकती थी। जैसे ही अपीलाण्ट बालिग हुयी एवं अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुयी तब अपीलाण्ट द्वारा अपने वकील से कानूनी सलाह, अपीलाधीन आदेश की नकल आदि तैयार कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1986 पेज 187, डीएनजे 2017(2) पेज 885, आरआरटी 2019(1) पेज 185 का उद्धरण पेश किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 में स्वयं को दौराने दावा नाबालिग होने एवं बालिग होने पर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करना कथन किया है। परन्तु अपील बालिग होने के 6 वर्ष, शादी होने के बाद प्रस्तुत की गयी है। अतः बालिग होने से प्रत्येक दिन का विलम्ब का स्पष्टीकरण आवश्यक है, जो अपीलाण्ट ने नहीं बताया है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील अपीलांट खारिज योग्य रहती हैं। गुणावगुण पर उनका कथन है कि अपीलाण्ट वसीयत को कूटरचित एवं फर्जी होना बताते हैं तो उन्हें अपीलाधीन आदेश की अपील करने के बजाय वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वसीयत आज भी प्रभावी है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में बिल्कुल सही हुआ है एवं अपीलाण्ट की ओर से आदेश 32 नियम 7 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये न्यायालय से अनुमति ली जाकर ही पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः उक्त आदेश में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरएलडब्ल्यू 1986 पेज 498, डीएनजे 1996 पेज 738, आरएलआर 1997 पेज 589 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2005 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.10.2017 को लगभग 12 वर्ष 03 माह बाद यह कहकर प्रस्तुत की गयी है अपीलाण्ट दौराने दावा नाबालिग थी एवं उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। जैसे ही बालिग हुयी एवं कानून की जानकारी करने पर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अपील पत्रावली में संलग्न अध्ययन प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलाण्ट की जन्म तिथि 10.07.1993 है। इस प्रकार अपीलाण्ट 10.07.2011 को बालिग हो गयी। परन्तु उनके द्वारा हस्तगत अपील बालिग होने से लगभग 06 साल बाद शादी होने के पश्चात् पेश की गयी है। जहॉ विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में 6 वर्ष से अधिक अवधि का विलम्ब किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः मिंयाद के बिंदु पर अपील खारिज योग्य है।

6. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वसीयतनामा में वसीयतकर्ता ने स्पष्ट अंकित किया है कि मेरा एक पुत्र उत्तम सिंह था जो आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व दिवंगत हो चुका है उसके वारिसान के रूप में उत्तम सिंह की पत्नी सावित्री देवी व पुत्री कु0 सपना जीवित है। मेरी एक पुत्री मु0 अनौखी है, जिसका में

पर्याप्त दान दहेज देकर विवाह 20 वर्ष पूर्व कर चुका हूँ, मेरी पुत्री अनौखी अपने परिवार में सुखी व समृद्ध है। मैं अपनी पुत्रवधू को दिनांक 31.12.2003 को खसरा नम्बर 96, 309, 574, 763, 769 कुल किता 5 कुल रकवा 05 बीघा 05 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दे चुका हूँ एवं शेष रही भूमि में 1/16 हिस्सा एवं एक मकान पुख्ता दुमंजिला जो मेरी पुत्र वधू के मकान से अलग है। चूंकि मेरी पुत्रवधू ना तो मेरी और ना ही मेरी पत्नी की सेवा कर रही है ना ही दवा दारू व खाने-पीने की व्यवस्था कर रही है। अतः मैं उक्त शेष रही आराजी की वसीयत लीलाधर एवं महाराज सिंह जो मेरी व मेरी पत्नी की समुचित सेवा सुश्रुषा देखरेख कर रहे हैं, को कर रहा हूँ। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट की मॉ व अपीलाण्ट को उनके ससुर द्वारा पृथक से आराजी एवं मकान दिया गया है एवं शेष रही भूमि को रैस्पो0 के पक्ष में वसीयत की गयी है। इसके अलावा अपीलाण्ट की मॉ द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में रैस्पो0 के पक्ष में वसीयत को सही होना माना जाकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट का यह कथन कि वक्त राजीनामा वह नाबालिग थी एवं राजीनामा उनके हितो के विरूद्ध पेश किया गया है बाबत् हम पाते हैं कि अपीलाण्ट की ओर से उनकी सरपरस्ती मॉ ने न्यायालय से प्रार्थना पत्र आधीन आदेश 32 नियम 7 जा0दी0 के तहत स्वीकृति लेते हुये प्रस्तुत किया गया है। जहॉ तक विवादित आराजी में उनके हित प्रभावित होने का प्रश्न है। जैसा कि ऊपर विवेचना में आ चुका है। मृतक बाबूलाल ने अपीलाण्ट एवं उनकी मॉ को अपनी खातेदारी की आराजी में से उनका हक एंव पुख्ता मकान वसीयत से पूर्व ही पृथक से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कराया जा चुका था। अतः रैस्पो0 को वसीयत से प्राप्त आराजी में उनका कोई हक एवं स्वत्व नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2005 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.01.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,** भरतपुर मुकाम **धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
<u>प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–63/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)</u>

सपना पुत्री स्व0 उत्तम सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह आयु करीब 21 वर्ष जाति त्यागी निवासी ग्राम नौरंगाबाद तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

...........अपीलांट।

बनाम

1. लीलाधर पुत्र हरिविलास
2. महाराजसिंह पुत्र शिवचरन
3. कम्पूरी बेवा बाबूलाल
4. सावित्रीदेवी पत्नी स्व0 उत्तम सिंह
5. मु0 अनोखी पुत्री बाबूलाल पत्नी मंगलसिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम कनासिल तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।
6. अजमेरसिंह } पिस0 शिवचरन जाति त्यागी नि0 ग्राम नौंरगाबाद तह0 सैंपऊ जिला धौलपुर।
7. रामदत्त
8. बंगाली } पिस0 पीतमसिंह } समस्त जाति त्यागी नि0 ग्राम नौरंगाबाद तह0 सैंपऊ जिला धौलपुर।
9. भोलाराम
10. बैकुण्ठी वेवा बैनीप्रसाद
11. मुरारी } पिस0 बैनीप्रसाद
12. हाकिम
13. रामनिवास } पिस0 बृषभान जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम नौरंगाबाद तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर।
14. सुरेशचन्द
15. राजेन्द्रप्रसाद
16. लोकेन्द्र
17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संतर रोड धौलपुर द्वारा शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संतर रोड धौलपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तसीमो द्वारा शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तसीमो।
19. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सैंपऊ।

.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर दिनांक 21.06.2005 प्रकरण संख्या 31/2004 उनवान लीलाधर बनाम कम्पूरी।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री योगेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री गजेन्द्र सिंह राना मिनजानिब मुदाअलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक** 21.06.2005 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........14...........माह........01........सन्..........2022.........को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..................... भू प्रबन्ध अधिकारी,

औहदा............................. पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर